संपदा निदेशालय

1. संपदा निदेशालय के उत्तरदायित्व

- संपदा निदेशालय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है तथा इसके प्रमुख निदेशक संपदा हैं । यह मुख्य रुप से दिल्ली में तथा 8 अन्य शहरों यथा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, शिमला, चंडीगढ, नागपुर, फरीदाबाद और गाजियाबाद में सरकारी संपदा के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है । दिल्ली में कुल आवासीय स्टाक 64,190 है तथा 29 अन्य स्टेशनों में 32006 है । निम्नलिखित स्टेशनों पर संपदा कार्य संपदा निदेशालय की ओर से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देखा जाता है ।

इन्दौर, लखनऊ, बंगलौर, शिलांग, हैदराबाद, इम्फाल अगरतला,कोहिमा, कोचीन, इलाहाबाद, राजकोट, भोपाल, कानपुर, श्रीनगर, जयपुर,देहरादून, मैसूर, वाराणसी, सिक्किम, त्रिवेन्द्रम और गुवाहाटी ।

निदेशालय निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी है:-

(i) सरकारी आवास(दिल्ली में सामान्य पूल), नियम, 1963 के आवंटन का प्रशासन
(ii) अचल संपत्ति का अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम, 1952 का प्रशासन
(iii) लोक परिसरों(अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली),अधिनियम,1971 का प्रशासन
(iv) शिमला, कन्याकुमारी, अमरकंटक और मैसूर तथा अन्य सरकारी हॉस्टलों में अतिथि गृह का नियंत्रण और प्रशासन
(v) दिल्ली , फरीदाबाद, गाजियाबाद, मुम्बई और नागपुर में सरकारी कालोनियों में मार्केटों/दुकानों का प्रशासन ।
(vi) विज्ञान भवन और विज्ञान भवन सौंध में आवास का आवंटन
(vii) सभी आवंटियों से लाइसेंस शुल्क वसूलना

- निदेशालय ने आवंटन के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं तथा ये दिशानिर्देश वेबसाइट http://www.estates.nic.in पर उपलब्ध है ।

2. रोलिंग आवंटन वर्ष शुरु करना तथा सरकारी आवास के आवंटन आमंत्रित करने हेतु खुले आवेदन पत्र

- विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, को कट-ऑफ तारीख के साथ एक रोलिंग आवंटन वर्ष शुरु किया गया है ।
- जनवरी, 2002 से रिहायशी आवास के लिए वास्तविक मांग का आकलन करने तथा मौजूदा आवास स्टाक में वृद्धि करने हेतु अधिक रिहायशी आवास के निर्माण के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु प्रतिबंधित आधार, जैसा कि पूर्व में किया जा रहा था, के बजाय सभी पात्र केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं । रोलिंग आवंटन वर्ष 1.4.2002 से शुरु किया गया है । विभिन्न प्रकार के आवास के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु कट ऑफ तारीख प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी है ।

- प्रत्येक कलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को पात्र अधिकारी निर्धारित अपनी पात्रता वेतन के अनुसार पात्र आवास के आवंटन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि इस प्रकार हैः

आवास का प्रकार	**पात्र मूल वेतन रेंज**
I	रु0 3050 से कम
II	रु0 3050-5499
III	रु0 5500-8499
IV	रु0 8500-11,999
IV(स्पेशल)	रु0 10,000/-
VA(डी-II)	रु0 12,000-15,099
VB(डी-I)	रु0 15,100-18,399
VIA(सी-II)	रु0 18,400-22,399
VIB(सी-I)	रु0 22,400-24,499
VII	रु0 24,500-25,999
VIII	रु0 26,000 और इसके अधिक
हॉस्टल	
सिंगल स्यूट किचन के बिना	रु0 6500
सिंगल स्यूट किचन के साथ	रु0 6500
डबल स्यूट	रु0 8500

नोटः टाइप-V(ए) और इससे ऊपर, टाइप IV(विशेष) तथा हॉस्टल आवास के लिए प्राथमिकता की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख से अधिकारी द्वारा उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम वेतन लगातार लिया जाता है । टाइप-I से IV तक के आवास के लिए प्राथमिकता की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख से आवेदक सरकारी सेवा में लगातार कार्य कर रहा है ।

3. उप किरायेदारी का पता लगाने के लिए विशेष अभियान

- सरकारी संपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए नियमित उप किरायेदारी निरीक्षण, अनधिकृत कब्जेधारियों की बेदखली, बकाया एरियर की वसूली नियमित रुप से की जाती है । सरकारी आवासों में उप किरायेदारी का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाये गए थे तथा वर्ष 2003-04(1.4.2003 से 31.3.2004) के दौरान सरकारी आवासों में उपकिराएदारी का पता लगाने के लिए कुल 1927 मकानों का निरीक्षण किया गया था । संदेहास्पद उप-किराएदारी के 479 मामले थे तथा अंतिम रुप से 287 मामलों में रद्द किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं ।
- उप किराएदारी के खतरे का सामना करने के लिए आवंटन नियमों के प्रावधानों को और कठोर बनाया गया है, यह व्यवस्था की गई है कि उप-किरायेदारी के प्रमाणित मामलों में आवंटी को उसकी सेवा की शेष अवधि के लिए आवंटन हेतु रोक लगायी जायेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी दण्डात्मक कार्यवाहियां शुरु की जायेगी ।

- 1.1.2004 से 31.12.2004 तक अनधिकृत कब्जे के 999 मामलों का निपटान किया गया ।
- वर्ष 2002-2003 के दौरान 13,46,17,484 रु0 की राशि वसूल की गई तथा 5,36,210 रु0 की राशि वापिस लौटायी गयी थी ।

4. **दुकानदारों को स्वामित्व देना**

- संपदा निदेशालय विभिन्न केन्द्र सरकार कालोनियों में 45 बाजारों का संचालन कर रहा है । 45 बाजारों में से मंत्रिमंडल ने 26 बाजारों के दुकानदारों को स्वामित्व अधिकार देने का निर्णय लिया है ।

5. **कम्प्यूटरीकरण**

- संपदा निदेशालय ने अपनी सभी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए पहली बार एक महत्वाकांक्षी स्कीम शुरु की है, जिसके लिए सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली(जीएएमएस) के लिए सॉफ्टवेयर का कार्य सक्रिय कार्यान्वयन स्तर पर है तथा अपेक्षित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीद लिए गए हैं । सामान्य पूल रिहायशी आवास के प्रत्येक आवंटी को आवंटी लेखा संख्या (ए ए एन) दे दी गई है जो कि लाइसेंस शुल्क वसूलने तथा आवंटन से संबंधित गतिविधियों के लिए भी संदर्भ कुंजी के रुप में कार्य करेगी । पहली बार लाइसेंस शुल्क वसूली कार्यक्रम मैनुअल के बजाय ई-मेल/फ्लोपी के जरिये डाला जा रहा है ।
- संपदा निदेशालय की वेबसाइट का ई-गर्वेनेन्स और पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम है । यह URL http://estates.nic.in पर उपलब्ध है । यह संपदा निदेशालय की सभी गतिविधियों पर सभी महत्वपूर्ण सूचना मुहैया कराता है ।

6. **आधुनिकीकरण**

- अपने कर्मचारियों और आगन्तुकों के लिए बेहतर कार्य दशायें और अच्छा पर्यावरण मुहैया कराने के लिए संपदा निदेशालय ने माड्यूलर फर्नीचर, आफिस आटोमेशन/उन्नत लाइट और रिकार्डो एवं फाइलों की बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था के साथ बड़ी मात्रा में नवीकरण का कार्य शुरु किया है ।

7. **सूचना सुविधा केन्द्र**

- उप निदेशक(कम्प्यूटर) के अधीन संपदा निदेशालय में सूचना सुविधा केन्द्र(आईएफसी) कार्य कर रहा है तथा आने वाले सरकारी अधिकारियों और व्यक्तियों, जो किसी प्रकार की पूछताछ के लिए आते हैं, के लिए फ्रंट कार्यालय के रुप में कार्य करता है । सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सुविधा के लिए रजिस्टर डीई-2 फार्म और पावती स्लिप जारी करने हेतु 1.7.2003 से ऑन लाइन सेवा शुरु की गई है । सूचना सुविधा केन्द्र द्वारा प्रत्येक दिन औसतन 250 आगन्तुकों की अगवानी की जाती है ।

8. **लोक शिकायतों का निपटान**

- संपदा निदेशालय में अपर निदेशक (स्थापना) के अधीन लोक शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है । अपर निदेशक से फोन सं0 23019503 पर संपर्क किया जा सकता है । सभी लोक शिकायत में मामलों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाती है । लोक शिकायत के मामलों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाती है । लोक शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली (पीजीआरएएमएस) के आधार पर इन्टरनेट शुरु करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के खरीद का कार्य पहले ही चल रहा है ।

9. **अतिथि गृह**

- शिमला, कन्याकुमारी, अमरकंटक और मैसूर में अतिथि गृह चल रहे हैं । मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर और लखनऊ में पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित हॉस्टल आवास उपलब्ध है ।

10. **वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल**

- संपदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन 74 स्यूट हैं, वेस्टर्न कोर्ट में 74 स्यूटों में से 21 स्यूट मंत्रियों के अतिथियों के लिए हैं । शेष स्यूट संसद सदस्यों और उनके अतिथियों को आवंटित करने के लिए राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है ।

11. **विट्ठलभाई पटेल हाउस**

- संपदा निदेशालय के वी पी आउस में भी 37 स्यूट हैं, जो संसदीय पार्टी स्टाफ और राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टियों के कार्यालय उपयोग तथा केन्द्रीय मंत्रियों, जो पात्र आवास से निम्न आवास में रहते हैं, आदि के लिए आवंटित किए जाते हैं ।

12. **विज्ञान भवन**

- संपदा निदेशालय सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्पयत्त निकायों, निजी संगठनों आदि द्वारा सम्मेलन आयोजित करने के लिए विज्ञान भवन में हालों की बुकिंग के लिए उत्तरदायी है । मुख्य विज्ञान भवन में एक परिपूर्ण हाल है जिसमें 1285 लोग बैठ सकते हैं तथा 6 समिति कक्ष हैं, जिनमें 65 से 238 व्यक्ति तक बैठ सकते हैं । इसके अतिरिक्त, इसके सौंध भवन में 5 समिति कक्ष हैं जिनमें 65 से 238 व्यक्ति तक बैठ सकते हैं ।

13. **अधिकारियों की सूची**

http://www.estates.nic.in/DelhiContactus.aspx